संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 30-10-2022**

आज दिनांक 30.10.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना धनघटा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री राम प्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री कृष्णदेव सिंह** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 273 / 2022 धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 323 / 325 / 504 / 506 / 352 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता रामसुरेश उर्फ गामा पुत्र रामनिवास यादव निवासी बहराडाड़ी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को तिघरा चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.06.2022 को पुरानी रंजिश की बात को लेकर के वादी को जान से मारने हेतु कट्टा से फायर किया गया था तथा मारपीट कर हाथ-पैर तोड़ दिया गया था जिसके संबन्ध में वादी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी जगदीशपुर उ0नि0 रामकरन निषाद मय हमराह हे0का0 वशिष्ट नरायन श्रीवास्तव, का0 सन्नी यादव।

संतकबीरनगर पुलिस

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना मेहदावल** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त नाम पता 1 - विशाल पुत्र अम्बे निवासी पश्चिम टोला थाना मेहदावल सन्तकबीर नगर जिसके पास से बिना नम्बर की काले रंग की पल्सर तथा 650 ग्राम अवैध गाँजा, 2 - अविनाश कुमार उर्फ जितेन्द्र पुत्र गिरजा प्रसाद निवासी सीयर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीर नगर के पास से 600 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहदावल पर क्रमशः एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1 - विशाल पुत्र अम्बे निवासी पश्चिम टोला थाना मेहदावल सन्तकबीरनगर।

2 - अविनाश कुमार उर्फ जितेन्द्र पुत्र गिरजा प्रसाद निवासी सीयर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 382 / 2022 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट बनाम विशाल, थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

मु0अ0स0 383/2022 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अविनाश कुमार उर्फ जितेन्द्र, थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

उ0नि0 श्री लालजी यादव, हे0का0 जयकन्नौजिया, हे0का0 हरिनरायण प्रसाद, का0 आलोक मणि, का0 अविनाश यादव।

संतकबीरनगर पुलिस

थाना महुली पुलिस द्वारा 490 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना महुली** पुलिस द्वारा पर्व छठ पूजा के दृष्टिगत क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त नाम पता मुसई पुत्र हबीब ग्राम कुरसुरी थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को 490 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना महुली एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1 - मुसई पुत्र हबीब ग्राम कुरसुरी थाना महुली जनपद संतकबीर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 455 / 2022 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

प्रभारी चौकी काली जगदीशपुर उ0नि0 हरिकेश भारती, कांस्टेबल शरद राय, कांस्टेबल अरुण गौड़ ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 10-05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – राम प्रसाद पुत्र श्रीराम निवासी चैनपुर थाना महुली, 2 – पार्वती देवी पत्नी संतराम निवासी मुखलिशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 453 / 2022 व 454 / 2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0न0 रमेश यादव, उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, का0 विकास यादव, का0 मनीष शर्मा, का0 राजेश मौर्य, म0का0 सोनल मिश्रा।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बण्डा बाजार से इवेन्ट संख्या 09385 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राईवेट वाहन से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज करवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी देवेन्द्र कुमार, प्रेमा बिन्द, हो0चा0 सुनील अग्रहरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 102 वाहनो से 78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.10.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 102 वाहनों से 78,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।